राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89/संस्था.एलएम-1 (45) 2017-लूज

जयपुर, दिनांक 06/08/2024

अधिसूचना

संख्या एफ 89/संस्था/एल.एम-01(45) 2017-लूज:- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट संख्या-15164/2018 (चन्दीराम जमवानी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) में दिनांक 01.08.2018 को प्राप्त स्थगन एवं डी.बी स्पेशल रिट संख्या 187/2019 के निर्णय दिनांक 31.01.2019 में स्थगन की पुष्टि के क्रम में, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 89/संस्था/एल.एम-01(45) 2017-लूज दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 को, प्रभाव शून्यता की स्थिति में तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत करती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव